100 दुधारू पशुओं की

ब्याजमुक्त कामधेनु डेयरी योजना

पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

संशोधित प्रोजेक्ट जुलाई 2015 से प्रभावी

100 दुधारू पशुओं की ब्याजमुक्त कामधेनु डेयरी योजना

(राज्य योजना)

प्रस्तावना/संक्षिप्त विवरणः–

उत्तर प्रदेश की लगभग 68 प्रतिशत जनता ग्रामीण अंचलों में निवास करती है जिसके जीविकोपार्जन के मुख्य श्रोत कृषि एवं पशुपालन है वर्तमान में कृषि क्षेत्र के कुल योगदान में पशुपालन का योगदान 33 प्रतिशत है जो देश के सकल घरेलू जी0डी0पी0 का लगभग 9 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश पशुधन विकास के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश है। प्रदेश में देश का 10.5 प्रतिशत गोवंश एवं 27 प्रतिशत महिशवंश है यद्यपि प्रदेश वर्ष 2013–14 में 241.938 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है लेकिन प्रदेश में प्रति पशु उत्पादकता कम है। प्रदेश में देशी गायों की उत्पादकता 2.5 किग्रा0 प्रतिदिन प्रति पशु है जब कि पंजाब एवं हरियाणा में दोगुनी है। इसी प्रकार भैंसों की उत्पादकता प्रदेश में 4.4 किग्राा0 प्रतिदिन प्रति पशु है, जबकि पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में उत्पादकता डेढ़ गुनी है इसका मुख्य कारण प्रदेश में उच्चगुणवत्ता युक्त पशुओं का न होना है।

अतः आवश्यकता है कि पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता के विकास हेतु उच्च नस्ल के अधिक से अधिक पशुओं की इकाई स्थापित की जाये। पशुपालन विभाग पशुधन के क्षेत्र में विकास हेतु उन्नत पशुपालन संसाधन तथा उन्नत प्रजनन, रोग नियंत्रण, चारा विकास, रोजगार सृजन आदि कार्यक्रम संचालित करता है लेकिन पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता के पशु प्राप्त करने हेतु प्रदेश के बाहर जाना पड़ता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के 100 दुधारू पशुओ (गाय/भैंस) प्रति यूनिट स्थापित करने हेतु कामधेनू योजना प्रस्तावित की जा रही है।

योजना का मुख्य उद्देश्यः–

1. प्रदेश में उच्च उत्पादकता क्षमता के गोवंशीय एवं महिशवंशीय नर एवं मादा पशुओं का उत्पादन।
2. पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी।
3. प्रदेश के पशुपालकों को प्रदेश में ही उच्च उत्पादक क्षमता के गोवंशीय एवं महिशवंशीय नर मादा पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. रोजगार के अवसर प्रदान करना।

योजना का स्वरूपः–

- प्रदेश के समस्त जनपदों में 100 दुधारू पशु (गाय/भैंस) की यूनिटें स्थापित की जायेंगी।
- दुधारू गायो में संकर जर्सी, संकर एच0एफ0 अथवा साहीवाल प्रजाति की गाय होंगी तथा भैसो में केवल मुर्रा भैस ही रखी जाएगीं।
- यूनिट स्थापित करने हेतु पशुपालक अपनी सुविधानुसार यह स्वयं निर्धारित करेगा कि उसे यूनिट में समस्त गाय रखनी है या समस्त भैसे रखनी है अथवा गाय/भैसे दोनो कितनी संख्या में रखनी है लेकिन यूनिट में जो भी गाय होगी समस्त गायें एक ही प्रजाति की होंगी।
- गायों की यूनिट स्थापित करने में समस्त गायें एक ही प्रजाति की होंगी।
- यूनिट की पूर्ण लागत का 25 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी एवं 75 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करनी होगी।
- योजना लागत के 75 प्रतिशत पर या लाभार्थी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 12 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति 5 वर्षो (60 माह) तक विभाग द्वारा बैंक को की जायेगी।
- नियमित ऋण अदा न करने पर योजना अंतर्गत प्राविधानित कुल ब्याज की प्रतिपूर्ति की धनराशि के अतिरिक्त यदि ब्याज पडता है तो उसे लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा।
- लाभार्थी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की नियमित आदयगी पर ही ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऋण अदा न होने पर लाभार्थी को योजना का लाभ नही दिया जायेगा।
- सिर्फ गायों की इकाई स्थापित करने वाले पशुपालकों को प्रोत्साहन स्वरूप राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त रूप से एक मुश्त अनुदान भी दिया जाएगा। 100 गायों की डेयरी इकाई को स्थापित करने वाले पशुपालक को प्रोत्साहन स्वरूप 5.00 लाख रू0 का अनुदान दिया जाएगा लेकिन यह अतिरिक्त अनुदान उन्ही पशुपालकों को देय होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि (8 माह) के अंदर योजनानुसार निर्धारित समस्त गाय क्रय कर लेगा। अनुदान हेतु दी जाने वाली धनराशि पशुपालक के खाते में डाली जायेगी।
- गाय/भैसों का कृत्रिम गर्भाधान उच्च गुणवत्ता के सांडों से प्राप्त अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा किया जायेगा।

- यदि पूरी यूनिट दुधारू गायों की है तो यूनिट में सांड नही रखा जायेगा। मुर्रा सांड केवल भैसों की यूनिट में रखा जायेगा।
- योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यक्रमो को राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओ के साथ भी डबटेल किया जायेगा, ताकि लाभार्थी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
- पशुओं का क्रय प्रदेश के बाहर से किया जायेगा।
- क्रय किये गये समस्त पशुओ का बीमा कराना आवश्यक होगा।
- लाभार्थी को उनके निजी व्यय पर विभाग द्वारा डेयरी प्रबन्धन, पशुपोषण एवं पशु स्वास्थ्य तथा लेखा संबंधी रखरखाव के संबंध में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।
- प्रत्येक यूनिट में गोबर गैस प्लान्ट एवं ग्राइन्ण्डर कम फीड मिक्सर प्लान्ट स्थापित किया जायेगा।
- यदि इकाई स्थापित करने के दौरान लाभार्थी एवं राज्य सरकार के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा जिलाधिकारी का निर्णय ही अन्तिम माना जायेगा।

लाभार्थी का चयनः–

योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थी का चयन किया जायेगा जो पशुपालन में रूचि रखता हो तथा पूर्व से ही पशुपालन का कार्य कर रहा हो। लाभार्थी के पास के शेड बनाने की भूमि के अतिरिक्त कम से कम 2 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। यूनिट की स्थापना यथा संभव पी0सी0डी0एफ0 के मिल्क रूट पर की जायेगी ताकि दूध की बिक्री सुगमता पूर्वक हो सके।

लाभार्थी का चयन निम्न समिति द्वारा किया जायेगाः–

मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	संयोजक सचिव
लीड बैंक ऑफीसर	सदस्य
दुग्ध विकास अधिकारी	सदस्य

100 दुधारू पशुओं गाय/भैंस की एक यूनिट स्थापित करने हेतु लिये गये ऋण पर कुल ब्याज की प्रतिपूर्तिः–

पशुपालक को राष्ट्रीयकृत बैंक/ग्रामीण बैंक/कोआपरेटिव बैंक से ऋण लेकर पशुओं का क्रय करना होगा एवं ऋण ली गयी धनराशि का पाँच वर्षो में नियमित रूप से बैंक को अदा कराना होगा। नियमित ऋण अदा न करने पर योजनान्तर्गत प्राविधानित कुल ब्याज की प्रतिपूर्ति की धनराशि के अतिरिक्त यदि ब्याज पड़ता है तो लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा।

पशु क्रय हेतु आवश्यक माप दण्डः–

1. पशुओं का क्रय प्रदेश के बाहर से ही किया जायेगा।
2. क्रय किये जाने वाले पशु प्रथम या द्वितीय ब्यात के होने चाहिये तथा दुग्ध उत्पादन प्रति पशु प्रति दिन गायो में 12 लीटर एवं भैसों में 10 लीटर से कम न हो।
3. क्रय किये जाने वाले पशु ढेड़ माह से पूर्व के ब्यायें हुये न हो।
4. सभी पशु रोग मुक्त एवं स्वस्थ्य होने चाहिये।

पशुओ का कय निम्न समिति द्वारा किया जायेगाः–

सम्बन्धित जनपदो के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	अध्यक्ष
सम्बन्धित बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
सम्बन्धित लाभार्थी	सदस्य

100 दुधारू पशुओं की एक इकाई की लागतः–

पूजींगत व्ययः–

A	**पशु क्रय पर व्यय**	**100 दुधारू पशुओं की यूनिट हेतु**
1–	100 दुधारू पशुओ (साहिवाल/संकर जर्सी/संकर एच0एफ0 गायों/मुर्रा भैंस की कीमत रू0 70000–00 प्रति पशु की दर से	रू0 7000000.00
2–	एक मुर्रा सांड का क्रय(केवल भैंस की यूनिट हेतु) दर रू0 120000.00	रू0 120000.00
3–	पशु बीमा 3 वर्ष हेतु (सघन मिनी डेरी के अनुसार)	रू0 348600.00
4–	पशु यातायात पर व्यय (रू0 4000.00 प्रति पशु की दर से)	रू0 400000.00
	योग	**रू0 7868600.00**
B	**पशु आवास (कैटिल शेड) पर व्यय**	**100 दुधारू पशुओं की यूनिट हेतु**
1–	वयस्क पशु हेतु 50 वर्ग फूट प्रति पशु रू0 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से (100 पशुओ के लिए)	रू0 1000000.00
2–	हीफर शेड/काफ शेड 30 वर्ग फुट प्रति हीफर रू0 200प्रति वर्ग फुट की दर से (100 हीफर के लिए)	रू0 600000.00
3–	बुल शेड(एक मुर्रा सांड हेतु) 120 वर्ग फुट (12X10 वर्ग फुट) रू0 150.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रू0 18000.00
4–	फीड गोडाउन पालीहाउस (20 X 15 वर्ग फुट) रू0 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रू0 60000.00

5–	मिल्क रूम (20 X 15 वर्ग फुट)रू0 350.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रू0 105000.00
6–	चैफ कटर शेड (12 X 15 वर्ग फुट) रू0 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रू0 36000.00
7–	साइलोपिट(30 X 15 X 4 घन फुट) दर रू0 150 प्रति वर्ग फीट	रू0 270000.00
8–	कैटल क्रस शेड	रू0 20000.00
	योग	**रू0 2109000.00**
C	**उपकरण**	**100 दुधारू पशुओं की यूनिट हेतु**
1–	जेट समरसेविल पम्प	रू0 50000.00
2–	पावर चैफ कटर	रू0 100000.00
3–	ग्राइन्डर कम फीड मिक्स प्लान्ट	रू0 330000.00
4–	मिल्क केन्स (40 लीटर के 10 दर रू0 2000 प्रति नग एवं 20 लीटर के 5 दर रू0 1500 प्रति नग)	रू0 27500.00
5.	मिल्किंग मशीन–2	रू0 200000.00
6.	मेजरिंग किट–2 एंव मिल्क बकेट–2	रू0 2000.00
7.	केटिल क्रस	रू0 10000.00
8.	गोबर गैस प्लान्ट विद 10 के0वी0 जनरेटर	रू0 1450000.00
9.	अन्य व्यय	रू0 5000.00
	योग	**रू0 2174500.00**
	इकाई की कुल लागत (A+B+C)	**रू0 12152100.00**
	लाभार्थी अंश (इकाई लागत का 25 प्रतिशत)	**रू0 3038025.00**
	बैंक लोन (इकाई लागत का 75 प्रतिशत)	**रू0 9114075.00**

100 पशुओं पर एक दिन के लिये चारे एवं दाने पर होने वाला व्ययः–

क्र0सं0	विवरण	दुग्धकाल		शुष्ककाल	
		कि0ग्रा0	धनराशि रू0 में	कि0ग्रा0	धनराशि रू0 में
1	**हरा चारा**	2000	3000	1000	1500
2	**सूखा चारा**	500	2000	600	2400
3	**पशु दाना**	400	6000	100	1500
	योग		**11000**		**5400**

100 पशुओं पर एक वर्ष में चारा एवं दाने पर होने वाला व्ययः–

क. प्रथम वर्ष में दुग्धकाल 250 दिवस एवं शुष्ककाल 150 दिवस आकंलित है।

ख. द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष, एवं पंचम वर्ष में दुग्धकाल 280 दिवस एवं शुष्ककाल 85 दिवस आंकलित है।

(धनराशि रूपये मे)

क0सं0	विवरण	वर्ष				
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
1	हरा चारा	922500	967500	967500	967500	967500
2	सूखा चारा	776000	764000	764000	764000	764000
3	पशु दाना	1672500	1807500	1807500	1807500	1807500
	योग	**3371000**	**3539000**	**3539000**	**3539000**	**3539000**

100 दुधारू पशुओं से वर्षवार प्राप्त दूध लीटर में एवं दूध विक्रय से प्राप्त धनराशि का विवरणः–

क्र. सं.	वर्ष	100 क्रास ब्रीड गायों/भैंस का कुल वर्षवार लैक्टेशन दिवस	कुल दुग्ध उतदन 12 लीटर प्रति पशु प्रति दिवस की दर से	वर्षवार कुल विक्रय मूल्य (प्रथम वर्ष में रू0 23 प्रति ली0 तथा आगामी वर्षो में रू0 1 प्रति ली0 प्रतिवर्ष की वृद्धि दर से) धनराशि रू0 में
1	प्रथम	25000	300000	6900000.00
2	द्वितीय	28000	336000	8064000.00
3	तृतीय	28000	336000	8400000.00
4	चतुर्थ	28000	336000	8736000.00
5	पंचम	28000	336000	9408000.00

प्रोजेक्ट वायबिलिटी

क्रमांक	व्यय विवरण	100 दुधारू पशुओं की यूनिट हेतु
1.	पूजीगत व्यय	
1.1	पशु आवास निर्माण व्यय	रू0 2109000
1.2	आवश्यक उपकरण औजार खरीद	रू0 2174500
1.3	100 दुधारू पशुओं का क्रय	रू0 7000000
1.4	मुर्रा सांड का क्रय	रू0 120000
1.5	पशु बीमा तीन वर्ष हेतु	रू0 348600
1.6	पशु यातायात पर व्यय	रू0 400000
1	**योग**	**रू0 12152100**

आवर्ती व्यय		वर्ष					
2		**प्रथम वर्ष**	**द्वितीय वर्ष**	**तृतीय वर्ष**	**चतुर्थ वर्ष**	**पंचम वर्ष**	**योग**
2.1	पशु आहार चारे पर व्यय	3371000.00	3539000.00	3539000.00	3539000.00	3539000.00	17527000.00
2.2	पशुचिकित्सा पर व्यय	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	250000.00
2.3	लेबर/दैनिक मजदूरी रू0–150 प्रतिदिन के दर से 10 मजदूरो का	547500.00	547500.00	547500.00	547500.00	547500.00	2737500.00
2.4	डीजल/विद्युत व्यय रू0 5000.00 प्रति माह	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	300000.00
	योग						20814500.00
क्र. सं.	**आय विवरण**	**वर्ष**					**योग**
		प्रथम	**द्वितीय**	**तृतीय**	**चतुर्थ**	**पंचम**	
1.	उत्पादित दूध बिक्री से आय	6900000.00	8064000.00	8400000.00	8736000.00	9408000.00	41508000.00
2.	खाद की बिक्री से आय (दर रू0 1000.00 प्रति पशु/प्रति वर्ष)	85000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	485000.00
	कुल आय (रू0)	6985000.00	8164000.00	8500000.00	8836000.00	9508000.00	41993000.00
	– कुल आवर्ती व्यय (रू0)	3697000.00	3865000.00	3865000.00	3865000.00	3865000.00	20814500.00
	शुद्ध लाभ (रू0)	3288000.00	4299000.00	4635000.00	4971000.00	5643000.00	21178500.00

पाँच वर्षों में प्रति यूनिट ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु दी जाने वाली अनुदानित धनराशिः–

1– 100 दुधारू पशुओं की एक यूनिट स्थापित होने में कुल धनराशि रू0 12152100/–लागत आयेगी। जिसमें लाभार्थी को न्यूतम 25 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 3038025/–मार्जिन मनी के रूप में स्वयं वहन करना होगा एवं अधिकतम 75 प्रतिशत धनराशि रू0 9114075/– बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करना होगा। यदि लाभार्थी 75 प्रतिशत से अधिक धनराशि का ऋण प्राप्त करता है तो योजना लागत के 75 प्रतिशत पर ही ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2– बैंक द्वारा ऋण के रूप में दी गयी धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति निम्न विवरण अनुसार अनुदान स्वरूप पांच वर्षों (60 माह) में विभाग द्वारा की जायेगी। यह धनराशि 100 दुधारू पशुओं की एक यूनिट पर पांच वर्षों (60 माह) में रू0 3281067/– अर्थात अधिकतम रू0 32.82 लाख होगी। यदि ब्याज दर उक्त से कम है तो देय ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी लेकिन प्रतिपूर्ति किसी भी दशा में अधिकतम दर्शाई गई धनराशि से अधिक नही होगी।

100 दुधारू पशुओं की प्रति यूनिट पर पांच वर्षो में ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि रू0 मेंः–

वर्ष	बैंक लोन	ब्याज (12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से)	किश्त	बैंक को कुल भुगतान	एक यूनिट पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि
प्रथम	9114075	1093689	1822815	2916504	1093689
द्वितीय	7291260	874951	1822815	2697766	874951
तृतीय	5468445	656213	1822815	2479028	656213
चतुर्थ	3645630	437476	1822815	2260291	437476
पंचम	1822815	218738	1822815	2041553	218738
योग		**3281067**	**9114075**	**12395142**	**3281067**

ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक मापदण्डः–

- योजना का लाभ उन लाभार्थियों को देय होगा जिनका जनपद स्तर पर गठित जिनका चयन समिति द्वारा किया गया है।
- बैंक ऋण प्राप्त करने के लिये लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से संबंधित बैंक को प्रेषित करना होगा ।
- ब्याज की प्रतिपूर्ति के दावे का सत्यापन संबंधित बैंक द्वारा किये जाने पर ही प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जायेगा ।
- ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये लाभार्थी को बैंक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये ऋण की अदायगी नियमित रूप से की जा रही है तथा वह किश्त के बकायेदार नही है, संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

योजना का अनुश्रवणः–

उक्त योजनान्तर्गत समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों का दायित्व होगा कि वह पशुपालकों द्वारा क्रय किये जा रहे पशुओं का त्रैमासिक आधार पर निरीक्षण करें एवं सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारियों का निर्देशित करें कि वह मासिक आधार पर पशुओं का निरीक्षण करें तथा औसत दुग्ध उत्पादन, पशुओं के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी, बैंक के ऋण की वापसी की स्थिति एवं अन्य जानकारियां मासिक प्रगति प्रतिवेदन के रूप में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायें एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सम्पूर्ण जनपद की उक्त संकलित सूचना अपर निदेशक ग्रेड–2 को उपलब्ध करायेंगे एवं अपर निदेशक का दायित्व होगा कि वह अपने मण्डल की संकलित सूचना प्रतिमाह 30 तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध करायें। निदेशालय स्तर पर उक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं का संकलित किया जायेगा।

योजना का लाभः–

1– प्रदेश में प्रतिवर्ष प्रति इकाई 3.36 लाख लीटर अतिरिक्त दुग्ध का उत्पादन होगा।

2– पशुपालक को पांच वर्षों में प्रति यूनिट रू0 211.00 लाख का लाभ अनुमानित है।

3– प्रदेश में प्रतिवर्ष उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के 100 नर/मादा पशु प्रति इकाई पैदा होंगे।

4– प्रदेश के अन्य पशुपालकों को प्रदेश के अन्दर ही उच्च गुणवत्ता के मादा पशु प्राप्त हो सकेंगे।

5– ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे।